

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10244 / 466
सेवा में

दिनांक : 19-5-2022

मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार ।

विषय : Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. Forest land already diverted for access to Retail outlet (Petrol Pump) Khasra NO. 161//13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu Road (NH-709B), Km. 136-702(RHS), under forest Division and Disitric Bhiwani, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/OTHERS/150474/2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको वन मण्डल अधिकारी, भिवानी के पत्र क्रमांक 1528 दिनांक 25.03.2022 द्वारा प्राप्त वायलेशन रिपोर्ट की प्रति आपको अपनी टिप्पणी देने हेतु प्रेषित है। इसके अतिरिक्त आपको लिखा जाता है कि नियमनुसार वायलेशन केस प्रस्तुत करें।

संलग्न/उपरोक्त ।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।

19/5/2022



FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Deputy Conservator Of Forest, Bhiwani

Meham Road, Vidya Nagar, Bhiwani, Tel. No. 01664-242430, E-mail:-dfo.bhiwani@yahoo.com

क्रमांक / 1528

दिनांक / 25/03/2022

सेवा में:-

✓ अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ0सी0ए0),
हरियाणा, पंचकूला।

विषय :-

Diversion of 0.0019 ha. of forest land for construction of open drain in addition to 0.081 ha. forest land already diverted for access to Retail Outlet (Petrol Pump) Khasra No. 161//13 at Village Lohani on Bhiwani Loharu road (NH-709B), km 136.702 (RHS), Tehsil & District Bhiwani, Haryana.

Proposal no. FP/HR/Others/150474/2021.

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10244/6849 दिनांक 09.03.2022 PR-141

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में दिनांक 10.01.2022 को मौका निरीक्षण उपरान्त 18.99 m² की वायलेशन पाई गई, जिसकी FOR No. 0679/086 चाक की गई तथा मुआवजा राशि (9495 रु0) प्राप्त करने के लिए श्री सुनील पुत्र मनीराम को नोटिस भेजा गया। परन्तु निर्धारित की गई तिथि 21.03.2022 को सुनील पुत्र मनीराम उपस्थित नहीं हुआ। अब सुनील पुत्र मनीराम को मुआवजा राशि जमा करवाने हेतु पुनः नोटिस जारी किया हुआ है। FOR तथा नोटिस की प्रति पत्र के साथ संलग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न/यथोपरि।

उप वन संरक्षक,
भिवानी।

पृ0 क्रमांक /

दिनांक /

इसकी एक प्रति वन राजिक अधिकारी, भिवानी को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि यदि दोषी निर्धारित अवधि में मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करता है तो दोषी के विरुद्ध अभियोजन केस तैयार करके माननीय विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरुक्षेत्र में दायर करें।

— Eka —
उप वन संरक्षक,
भिवानी।


Notice No. 9-B Dated 11-03-2022.

नोटिस

विषय : भारतीय वन अधिनियम 1927, के अनुसार ।

सुनील पुत्र मनीराम जाति चमार निवासी हडोदी डा०. हडोदी थाना बाढडा तहसील बाढडा जिला चरखी दादरी आपके विरुद्ध वन क्षति रिपोर्ट नं० 0679/086 Dated 10.01.2022 प्राप्त हुई है। जिसके अनुसार आपके द्वारा भिवानी से लोहारू रोड पर निजी पेट्रोल पम्प के सामने वन भुमी पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके नाला का निर्माण कर लिया है। जिसका आपके द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करवाया गया है जो सरासर गलत है। जिसका मुआवजा 9495/-रु० बनता है। अतः आपको इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि आप निम्नलिखित अधिकारी के पास दिनांक 21.03.2022 को या इससे पहले रेंज कार्यालय भिवानी में उपस्थित होकर वन भुमी की हानि का मुआवजा अदा कर दें तथा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाएं अन्यथा आपके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32(छ) 33(ग) के अन्तर्गत केस/चालान पीठासीन अधिकारी, स्पेशल प्रयावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र में कर दिया जायेगा तथा न्यायालय का खर्च भी आप पर डाल दिया जायेगा। उपरोक्त राशी के अलावा जिसमें आपको उपरोक्त राशी के रूप में जुर्माना या एक साल की सजा या दोनों भी हो सकते हैं।

पता:- रेंज कार्यालय, वन राजिक अधिकारी, महम रोड़ नजदीक हीरो ऐजेंसी भिवानी।


वन खण्ड अधिकारी,
भिवानी ।

D.R.R-80F-2021-22



वन अपराध रिपोर्ट

वन विभाग, हरियाणा सरकार

086

FOR Book No.

50879
0879

FOR No.

वन पण्डल	1/अश्वनी / 1/अश्वनी / 1/अश्वनी				
रेंज/ब्लॉक/बोट	अश्वनी - लाहाई राउंड				
रीज/जगह का नाम	अश्वनी - लाहाई राउंड				
FOR No. (Date, Day & Time)	086/0879 10/01/2022				
रिपोर्ट जारी करने वाले का नाम	अनवरत अठरठ				
अपराध की जानकारी का स्रोत	स्वयं द्वारा गस्त/मुखवीर द्वारा/शिकायत				
अपराध होने के तारीख/दिन/समय					
जांच अधिकारी का नाम व पद	श्री. अजय शर्मा अठरठ				
अपराध/घटना का विवरण संलग्न	नहीं/यदि हां तो पृष्ठ संख्या				
उल्लंघन किया गया अधिनियम	1FA 1927 सेशन 32(ख) 33(ग)				
भारतीय वन अधिनियम 1927	अ. 32(ख) 33(ग)				
वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972					
पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900					
भारतीय दण्ड संहिता					
अपराधी का विवरण	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता
	सुनील	मनीराम	26	पंजाबी	V.P.O. हाडी
	(6283950630)	(9501225240)			TE. - हाडी जिला - पंचकुला

जब्त किये गये सामान का विवरण

जब्त वन उपज का विवरण	प्रजाति	किस्म/साइज	संख्या	मूल्य	मुआवजा राशि
जब्त व्हीकल का विवरण	प्रकार	रजिस्ट्रेशन नं०	रंग	मॉडल	उत्पादन वर्ष
औजार/हथियार					
अन्य, यदि कोई हो					
सही को चिन्हित करें	नजरी-नक्शा जी०पी०एस० रीडिंग सहित	संलग्न किया है/तैयार नहीं किया गया	यदि हां तो पृष्ठ संख्या		
	फोटोग्राफ	संलग्न/तैयार नहीं किया गया			
	विडियोग्राफी	संलग्न/तैयार नहीं किया गया			

R.O.A.C.

Imayrat
वीट इन्चार्ज


व० रा० अ०
नाम श्री अश्वनी चंद
रैंक उप वन राक्षिक
दिनांक 10/01/2022

मुखवीर/शिकायतकर्ता/गवाह के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

X
गरोपी का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

Detailed Violation Report

दिनांक 10.01.2022 को गांव लोहानी में भिवानी लोहारू रोड की हलका वन रक्षक द्वारा गस्त की गई। गस्त के दौरान पाया गया कि गांव लोहानी में पेट्रोल पम्प के D-Area में सुरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण करके नाले का निर्माण किया हुआ है। जिसके लिए सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी द्वारा वन विभाग से कोई अन्नापति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आरोपी सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी द्वारा वनभूमि का इस्तेमाल करके भारतीय वन अधिनियम 1927 की उल्लंघना की गई है। इस उल्लंघना के लिए सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी के खिलाफ वन अपराध रिपोर्ट नं० 086/0679 दिनांक 10.01.2022 चाक कर दी गई है तथा इसकी मंजूरी हेतु श्री सुनील कुमार पुत्र मनीराम, निवासी हडोदी, तहसील बाढडा, जिला चरखी दादरी को एफ० सी० ए० - 1980 के तहत प्रस्ताव बनाकर वन मण्डल कार्यालय, भिवानी में देने हेतु कहा गया। इस केस की स्वीकृति हेतु पैनल सी०ए० सहित केस स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।


Divisional Forest Officer,
BHIWANI FOREST DIVISION
BHIWANI

गुलामखान लॉ विवरण

α _____ β

अर्जेंट रूप से उपयोग की जा रही वन भूमि का विवरण निम्न है -

[11.70 mtr x 1.36 mtr, 2.27 mtr x 1.36 mtr]

(कुल 15.91)

(कुल 3.08) = 18.99 x 2

→ Majid Jaz